

255-10

श्रीविद्याजी

पञ्जावली आज राजस्व लोक अदालत
ग्राम पंचायत बिलोता पर प्रस्तुत
हुयी वही श्रीलक्ष्मण उपस्थित।
वही ठारा पूर्व में श्री इन्द्री नामधरको
से अपील प्रस्तुत की हुई है जिस
निस्तारण राजस्व लोक अदालत में
किया जा चुका है इस अपील के
चलने का कोई नो प्रिप्ट नहीं है
अतः अपील अपीलान्त रकारिज की
जाती है पञ्जावली पञ्जावली
दोस्त राजस्व से रूप ही लक्ष
दस्तावेज दाखिल है

॥